

न्यायालय राजरव गाडल मध्यप्रदेश खालियर
समक्ष: एम०क० सिंह
सदस्य

दिनांक ९-०१-१३ पारित होता अपर आयुक्त खालियर संभाग खालियर प्रकरण
क्रमांक १३/११-१२/अपील

निगरानी १८५-एक/१२

अशोक मार पुत्र नाथूराम
निवासी अम बराठा जिला झाँसी हाल निवासी
ग्राम प्या ल तहसील भाण्डेर जिला दतिया
। रुद्ध श्रीमती भी देवी पुत्री हरीहर शर्मा पत्नी लक्ष्मी चन्द पटेरिया
निवासी दल नगर उरई जिला जालौन उ.प्र.
। रुद्ध निगरानी १८५-एक/१२

श्रीमती अमी देवी पुत्री विश्वनाथ पत्नी लक्ष्मी चन्द पटेरिया
निवासी ग्राम ब्यावल, तहसील भाण्डेर जिला-दतिया
हाल नि सी पटेल नगर उरई जिला जालौन उ.प्र
। रुद्ध अशोक मार पुत्र नाथूराम
निवासी अम बराठा जिला झाँसी हाल निवासी
ग्राम प्या ल तहसील भाण्डेर जिला दतिया


। रुद्ध अनावेदक

१ रामरायक शर्मा, अधिवक्ता आवेदक की ओर से
(प्रक. नि १८५-दो/१३ में एवं अनावेदक की ओर से निग. १८५-दो/१३) में
१ आर.डी. शर्मा, अधिवक्ता आवेदक की ओर से
(प्रक. नि १८५-दो/१३ में एवं अनावेदक की ओर से निग. १८५-दो/१३) में

॥ आदेश ॥
(आज दिनांक १८०९-२०१५ को पारित)

ये दोनों नेगरानियां अपर आयुक्त खालियर संभाग खालियर के प्रकरण क्रमांक
143/११-१२/ पील में पारित आदेश दिनांक ०९-०१-१३ के विरुद्ध उ.प्र. भू- राजस्व
संहिता १९५९ (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा ५० के अंतर्गत इस न्यायालय
में प्रस्तुत की गई है।

- 2/ प्रकरण व तथ्य चक्रप में इस प्रकार ह किंतुहसील न्यायालय भाण्डेर द्वारा प्र.क. 3/090-10, अ 6 में पारित आदेश दिनांक 17.09.10 व द्वारा ग्राम घावल की भूमियों पर भूमिरवामी श तेवाई के फौत होने पर वर्सीयत के आधार पर अशोक कुमार के हक में नामांतरण के अ त्था दिये गये। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न भालय में अपील की जो उम्होने अन्वीकार की। जिसके विरुद्ध लक्ष्मीदेवी आवेद /अनावेदिका द्वारा अधीनरथ न्यायालय के समझ अपील प्रस्तुत की गयी जिरामें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए दोनों अधीनरथ न्यायालयों के आदेश निरस्त एवं एवं अपील आंशिक रूप से रवीकार की। अधीनरथ न्यायालय द्वारा अपील अरवीका किये जाने पर इस न्यायालय द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।
- 3/ आवेदक अनावेदक अशोक कुमार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनरथ न्यायालय द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किये बिना महज कल न के आधार पर आदेश पारित किया है। अपर आयुक्त ने इस विंदु पर भी विचार नहीं रेखा कि लक्ष्मीदेवी विश्वनाथ की पुत्री न होते हुए हरीहर शर्मा की पुत्री है जोकि शांतिक दे की वारिस नहीं है। अपर आयुक्त ने इस विंदु को भी अनदेखा किया है कि प्रश्नाधीन संपत्ति की मालिक शांतिदेव व उनके पति विश्वनाथ है। उन दोनों के द्वारा आवेदक शोक कुमार के पक्ष में पंजीकृत वर्सीयत संपादित की गई है।
- 4/ आवेदक अनावेदिका लक्ष्मीदेवी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त का अ त्था विधिवत है जिरामें केवल आवेदिका के नामांतरण की आज्ञा प्रदान किए जाने के त्वावा इसक्षेप अपेक्षित नहीं है। अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील स्वीकार कर न और अधीनरथ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने से यही आशा निकलता है कि आवेदक के नाम नामांतरण किया जाये किंतु आदेश में इस आशय की आज्ञा प्रदान किया जाना रह गया है। उक्त आधार पर आवेदिका के नाम नामांतरण किए जाने की सीमा तक अपर आयुक्त के आदेश को संशोधित किये जाने का निवेदन किया गया है।
- 5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन कि। इस प्रकरण में अशोक कुमार द्वारा वर्सीयत के आधार पर तथा लक्ष्मीदेवी द्वारा वारिसाना आधार पर नामांतरण की मांग की गई है। अपर आयुक्त के आदेश का सूक्ष्म अवलोकन करने से यह आशय निकलता है कि उन्होंने उभयपक्ष के मध्य



व्यवहार वाद। अलित है इसलिए उन्होंने व्यवहार वाद के अंतिम निराकरण तक कार्यवाही स्थगित रखना। उचित माना है उक्त आधार पर ही उन्होंने अपील को आंशिक रूप से रखीकार करते हुए तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त किया गया है। न्यायदृष्टांत 1987 सी.सी.एल.जे. नोट 65 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिधि न किया गया है कि—

“भू- त्रस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 110 – विवादस्यद भूमि – स्वत्वाधिकार घोषणा के लिए सिविल वाद विचाराधीन – उचित प्रक्रिया यह है कि राजस्व न्यायालय की कार्यवाही अविल वाद के निराकरण तक प्रारथगित की जाय।”

इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1976 आरोनो 116 में राजस्व भड़ल द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित कि गया है कि—

“भू- त्रस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 109 तथा 110 सिविल वाद लंबित राजस्व न्यायालय को व्यवहार न्यायालय के निर्णय तक रुकना चाहिए।”

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों तथा इस वैधानिक बिंदु को देखते हुए कि स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्य गलय का निर्णय ही अंतिम होगा तथा राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा, के परि य में अपर आयुक्त के आलाव्ये आदेश में हस्तक्षण का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ये दानों निगरानियां निरस्त की जाती हैं।



(एम.के.सिंह)

राजस्व,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
गवालियर